15/04/25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। परिवादी वकील उप.। वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाता है जिसका निर्णय शामिल किया गया। डिक्री जारी हो। नकल के कट हो। निर्णय सुनाया गया।

GCMS 2022/382

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.04.16 19:19:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक जिलाधीश सूरतगढ़

पीठासीन अधिकारी :– सन्दीप कुमार आर.ए.एस.

प्रकरण नं0 166/2022 (GCMS:- 2022/382) दायरा दिनांक 20.06.2022

बाघनाथ पुत्र श्री अमरनाथ जाति नाथ निवासी हरदासवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

– वादी

बनाम

1. तारनाथ पुत्र श्री अमरनाथ जाति नाथ निवासी हरदासवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 209 आर.टी.ए.

उपस्थित :–

1. श्री जसवीरसिंह बराड़ एडवोकेट – वादी

–:: निर्णय ::– **दिनांक :–** 15/04/2025

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वादी ने यह दावा पेशकर निवेदन किया कि वादी के नाम से वाके चक 1 एच.डब्ल्यू.डी. की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 42/57 के पत्थर नं. 233/51 (46) के किला नं. 3/1 में 0.228, 3/2 में 0.025, 4/1 में 0.228, 4/2 में 0.025, 5/1 में 0.228, 5/2 में 0.025, 6 ता 8/0.759, 14 ता 17/1.012, 25/2 में 0.228 = 2.758 हैक. व पत्थर नं. 233/59 (45) के किला नं. 1/1 में 0.228, 1/2 में 0.025, 2/1 में 0.228, 2/2 में 0.025, 9 ता 12/1.012, 19–20/0.506, 21/1 में 0.228 = 2.252 हैक. व पत्थर नं. 234/9 (119) के किला नं. 5/1 में 0.202, 5/2 में 0.051, 6/1 में 0.228, 6/2 में 0.025, 15/1 में 0.228, 15/2 में 0.025 = 0.759 हैक. व पत्थर नं. 234/17 (118) के किला नं. 13 ता 17/1.265 हैक. इस प्रकार कुल 7.034 हैक. (4.885 हैक. अनकमाण्ड व 1.923 हैक. कमाण्ड व 0.226 हैक. खाला) खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रतिवादी नं. 1, वादी का भाई है तथा उक्त जैरवाद रकबा आबादी भूमि से चिपता हुआ है तथा प्रतिवादी नं. 1 का रिहायशी मकान वादी के रकबा के चिपता हुआ है जिसका फायदा उठाते हुये प्रतिवादी नं. 1 ने वादी के किला [illegible] व 16 में बाड़बन्दी कर अतिक्रमण की हैसियत से काबिज हो गया है [illegible] है व प्रतिवादी नं 1 ने वादी के जो खातेदारी रकबा पर अतिक्रमण [illegible] है जिसे वादी ने अपने खातेदारी रकबा का कब्जा छोडने का कहा तो प्रतिवादी नं.1 अ[illegible] बबुला हो गया और कहने लगा की यह रकबा तो मेरा है मैं इस रकबा में प्लाट काटकर बैचान करूंगा। इस पर वादी ने तुरन्त मौजीजान व्यक्तियों की पंचायत कर प्रतिवादी नं.1 ऐसा कृत्य नही करने हेतु समझा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.04.16 19:19:43 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

तो प्रतिवादी नं.1 स्पष्ट रूप से इन्कार हो गया व कहा की उक्त रकबा मेरा है इसका उपयोग मै किसी प्रकार से कर सकता हूँ इस पर वादी का कोई हक नही है। तो पंचायत ने वादी को कहा की तुम अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवा लो व अपना रकबा कानूनी रूप से पुरा करवा लो। कि वादी ने पंचायत की बात को मानते हुये अपने जैरवाद रकबा बाबत सीमाज्ञान हेतू आवेदन पत्र श्रीमान् तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ के समक्ष दिनांक 25.04.2022 को पेश किया जिसकी पालना में श्रीमान् तहसीनदार सूरतगढ़ द्वारा अपने आदेश क्रमांक 141 दिनांक 25.04. 2022 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा वादी के चक 1 एच.डब्ल्यु.डी. की पैमाईश करवाई गई जिससे साबित होता है की वादी के चक 1 एच.डब्ल्यू.डी. के पत्थर नं. 234/17 के किला नं. 16 में लगभग 20 फुट उत्तर दिशा में व किला नं. 15 लगभग पूर्ण रकबा पर प्रतिवादी नं. 1 द्वारा बाड़बन्दी कर रखी है व वादी की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है तो पटवारी हल्का द्वारा व मौजिजान काश्तकारों द्वारा प्रतिवादी नं. 1 को कहा की आप वादी के खातेदारी रकबा को खाली कर अपनी बाड़ हटा लेवे तो प्रतिवादी नं. 1 ने कहा की मुझे कुछ समय दो मैं बाड़ को हटा लूंगा लेकिन आज तक प्रतिवादी नं. 1 ने अपनी बाड़ को नही हटा है। उक्त जैरवाद रकबा का ठेका प्रतिबीघा प्रतिवर्ष 20,000/– रूपये है। लेकिन प्रतिवादी नं. 1 द्वारा वादी के नाम के रकबा पर कब्जा कर बाड़बन्दी कर रखी है। जिसे वादी ना तो उक्त रकबा में फसली फायदा उठा पाता है व ना ही हिस्सा ठेका पर दे सकता है। इसलिये वादी को दोहरा नुकसान हो रहा है। इसलिये वादी अपने खातेदारी रकबा जो प्रतिवादी नं. 1 ने कब्जा कर रखा है। उसका प्रतिवर्ष प्रतिबीघा 20,000/– रूपये ठेका राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। वादीर अपने खातेदारी रकबा के किला नं. 15 व 16 में प्रतिवादी नं. 1 द्वारा किया गया अतिक्रमण को जरिये पुलिस इमदाद छुड़वाने का कानूनी हकदार है। क्योकि प्रतिवादी नं. 1 झगड़ालू किस्म का व्यक्ति है। वह वादी को जानमाल का नुकसान भी पहुंचा सकता है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी नं. 1 को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 16.09.2022 को प्रतिवादी नं. 1 का सम्मन बाद तामिल नही आया। इन्तजार होकर पत्रावली 03.11.2022 को पेश हो। दिनांक 06.06.2023 को पेश हुई। वकील वादी उपस्थित व प्रतिवादी नं. 1 को बार बार आवाजें लगवाई गई, बावजूद समयक तामिल हाजिर नही आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी नं. 2 का साधारण रजिस्टर्ड तलबी तलवाना पेश करे। वास्ते पत्रावली दिनांक 12.07.2023 को पेश हो। दिनांक 12.10.2023 को प्रतिवादी नं. 2 को रजिस्टर्ड नोटिस भेजे गये की रसीद पेश की गई। रजिस्टर्ड नोटिस भेजे एक माह से अधिक समय हो गया। प्रतिवादी नं. 2 को आवाजे लगवाई गई, बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस सूचना हाजिर न[illegible] इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। वास्ते साक्ष्य वादी पत्रावली दिनांक 09.1[illegible]23 को पेश हो। दिनांक 12.01.2024 को वादी ने पूर्व में उपस्थित होकर साक्ष्य वादी [illegible] शपथ पत्र पेश किया, शामिल मिसल किया गया जिरह प्रतिवाादी के विरूद्ध एक पक्षीय [illegible]वाही होने से NILL रही साक्ष्यवादी और नही करवाना चाहते है। साक्ष्य वादी बन्द किये गये। वास्ते बहस दिनांक 31.12.2024 को पेश

लगातार पेज 3 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.04.16 19:19:43 IST
Reason: SelfAttested

हो। लेकिन कार्य में व्यस्त होने के कारण बहस नही सुनी गई व बहस दिनांक 27.01.2025 को वकील वादी द्वारा लिखित बहस पेश की गई। व निर्णय दिनांक 06.02.2025 को रखा गया। दावा में प्रतिवादी नं. 1 के खिलाफ पूर्व में एक पक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है।

अधिवक्ता द्वारा पेश लिखित बहस व पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से यह साबित है कि वादी के नाम से वाके चक 1 एच. डब्ल्यू.डी. की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 42/57 के पत्थर नं. 233/51 (46) के किला नं. 3/1 में 0.228, 3/2 में 0.025, 4/1 में 0.228, 4/2 में 0.025, 5/1 में 0.228, 5/2 में 0.025, 6 ता 8/0.759, 14 ता 17/1.012, 25/2 में 0.228 = 2.758 हैक. व पत्थर नं. 233/59 (45) के किला नं. 1/1 में 0.228, 1/2 में 0.025, 2/1 में 0.228, 2/2 में 0.025, 9 ता 12/1.012, 19–20/0.506, 21/1 में 0.228 = 2.252 हैक. व पत्थर नं. 234/9 (119) के किला नं. 5/1 में 0.202, 5/2 में 0.051, 6/1 में 0.228, 6/2 में 0.025, 15/1 में 0.228, 15/2 में 0.025 = 0.759 हैक. व पत्थर नं. 234/17 (118) के किला नं. 13 ता 17/1.265 हैक. इस प्रकार कुल 7.034 हैक. (4.885 हैक. अनकमाण्ड व 1.923 हैक. कमाण्ड व 0.226 हैक. खाला) खातेदारी कृषि भूमि में से पत्थर नं. 234/17 (118) के किला नं0 16 में लगभग 20 फुट उतर दिशा में व किला नं. 15 लगभग पूर्ण रकबा से प्रतिवादी नं. 1 को बेदखल किया जाना उचित है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत किये गये वादपत्र की भूमि वादी के नाम से वाके चक 1 एच.डब्ल्यू.डी. की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 42/57 के पत्थर नं. 234/17 (118) के किला नं0 16 में लगभग 20 फुट उतर दिशा में व किला नं. 15 लगभग पूर्ण रकबा से जरिये पुलिस इमदाद देकर प्रतिवादी नं. 1 को बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.04.16 19:19:43 IST
Reason: SelfAttested

—: डिकी ब मुक्द्दम इख्तदाई :—
(ओ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
बअदालत उपखण्ड अधिकारी एंव उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़
बइजलास — सन्दीप कुमार आर.ए.एस.

बाघनाथ पुत्र श्री अमरनाथ जाति नाथ निवासी हरदासवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

— वादीया

बनाम

1. तारनाथ पुत्र श्री अमरनाथ जाति नाथ निवासी हरदासवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 183, 209 आरटीए मुकदमा नं. 166/2022 यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कितई रूबरू हमारे हाजिर वकील वादीया श्री जसवीरसिंह एडवोकेट पेश होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :—

अतः वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर वादी के नाम से वाके चक 1 एच. डब्ल्यू.डी. की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 42/57 के पत्थर नं. 234/17 (118) के किला नं0 16 में लगभग 20 फुट उतर दिशा में व किला नं. 15 लगभग पूर्ण रकबा से जरिये पुलिस इमदाद देकर प्रतिवादी नं. 1 को बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आज .... × .... मुबलिग .... × .... बाबत् .... × .... खर्चा इस मुकदमें मय शूद्व बशरह .... × .... कस्दो की पालना .... × ....आज कि तारीख से तारीख बसूलया वो ताकी अदा करे

बसिब्त मेंरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 15/04/2025 को जारी की गयी।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.04.16 19:19:43 IST
Reason: SelfAttested

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़। (राज.)